"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2017—कार्तिक 5, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता ठाकुर ध. प. श्री राम कुमार ठाकुर, उम्र 47 वर्ष, जाति गोड़, निवासी-79, वार्ड क्र.-04, ग्राम कुटेलाभाठा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम ममता ध्रुर्वे था तथा यही नाम मेरे पेन कार्ड व मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. वर्तमान में मैं शास. प्राथ. शाला ग्राम कोड़िया में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूं. मेरा विवाह श्री राम कुमार ठाकुर के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ममता ठाकुर रख ली हूं तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती ममता ठाकुर ध. प. श्री राम कुमार ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| ममता ध्रुर्वे<br>पति-श्री राम कुमार ठाकुर<br>निवासी-79, वार्ड क्र.-04,<br>ग्राम कुटेलाभाठा,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती ममता ठाकुर<br>पति-श्री राम कुमार ठाकुर<br>निवासी-79, वार्ड क्र.-04,<br>ग्राम कुटेलाभाठा,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार वर्मा आत्मज स्व. रामस्वरूप वर्मा, उम्र 37 वर्ष, निवासी-पुरानी बस्ती तिल्दा, पोस्ट-नेवरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस में मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा दर्ज है जो सही है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों अन्य दस्तावेजों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रदीप कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम प्रदीप कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रदीप कुमार वर्मा आ. स्व. रामस्वरूप वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| प्रदीप कुमार<br>पिता-स्व. रामस्वरूप वर्मा<br>निवासी-पुरानी बस्ती तिल्दा,<br>पोस्ट-नेवरा, तहसील-तिल्दा,<br>जिला-रायपुर (छ. ग.) | प्रदीप कुमार वर्मा<br>पिता-स्व. रामस्वरूप वर्मा<br>निवासी-पुरानी बस्ती तिल्दा,<br>पोस्ट-नेवरा, तहसील-तिल्दा,<br>जिला-रायपुर (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आरिफुद्दीन कुरैशी, आत्मज निजामुद्दीन उम्र 49 वर्ष, निवासी-बी-8 लक्ष्मी नगर, फेस-2, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम आरिफुद्दीन (Arifuddin) था तथा इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम आरिफुद्दीन कुरैशी (Aarifuddin Quraishi) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे आरिफुद्दीन कुरैशी आ. श्री निजामुद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| आरिफुद्दीन (Arifuddin)<br>पिता-श्री निजामुद्दीन<br>निवासी-बी-8 लक्ष्मी नगर,<br>फेस-2, रिसाली, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | आरिफुद्दीन कुरैशी<br>(Aarifuddin Quraishi)<br>पिता-श्री निजामुद्दीन<br>निवासी-बी-8 लक्ष्मी नगर,<br>फेस-2, रिसाली, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पवन कोसमा आत्मज श्री दशरथ कोसमा उम्र 30 वर्ष, जाति हल्बा, निवासी-ग्राम कमकापार, थाना- डौंडीलोहारा, तहसील डौंडीलोहारा, जिला-बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि पवन कोसमा मेरा सही व वास्तविक नाम है किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व सर्विस रिकार्ड तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम पवन कोसमे आत्मज श्री दशरथ कोसमे दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम पवन कोसमा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पवन कोसमा आ. श्री दशरथ कोसमा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

पवन कोसमे
(Pawan Kosme)
पिता-श्री दशरथ कोसमे
निवासी-ग्राम कमकापार, थाना-डौंडीलोहारा,
तहसील-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद (छ. ग.)

**नया नाम**

पवन कोसमा
(Pawan Kosma)
पिता-श्री दशरथ कोसमा
निवासी-ग्राम कमकापार, थाना- डौंडीलोहारा
तहसील-डौंडीलोहारा जिला-बालोद (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सीता साहू आत्मजा स्व. मानसिंह साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-15, सिकोला भांठा, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व विवाह के पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज है. मेरा विवाह 10-04-2006 को श्री कोमल साहू के साथ संपन्न हुआ था विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती खिलेश्वरी साहू रखा गया तथा मैं इसी नये नाम से जानी, पहचानी जाने लगी, किन्तु पारिवारिक मतभेदों के कारण मेरे पति से मेरा तलाक दिनांक 12-04-2017 को हो गया तब से मैं अपने पिता के घर पर ही रह रही हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्व नाम सीता साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सीता साहू आत्मजा स्व. मानसिंह साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

श्रीमती खिलेश्वरी साहू
पति-श्री कोमल साहू
निवासी-ब्रम्हदेव चौक, पुरानी बस्ती,
ग्राम-कुरूद, थाना-जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

सीता साहू
पिता-स्व. मानसिंह साहू
निवासी-वार्ड नं.-15, सिकोला भांठा, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

# नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद जावेद खान (Mohammad Jawed Khan) आत्मज श्री जमील अहमद (Jamil Ahmed) उम्र 48 वर्ष, निवासी-चमन रोड फरीद नगर, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पासपोर्ट में मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम जावेद अहमद (Jawed Ahmad) दर्ज है जो मेरे पूर्व का नाम है मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम मोहम्मद जावेद खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद जावेद खान आ. श्री जमील अहमद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| जावेद अहमद<br>( Jawed Ahmed)<br>पिता-श्री जमील अहमद<br>( Shri Jamil Ahmed)<br>निवासी-चमन रोड, फरीद नगर,<br>सुपेला भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | मोहम्मद जावेद खान<br>(Mohammad Jawed Khan)<br>पिता-श्री जमील अहमद<br>( Shri Jamil Ahmed)<br>निवासी-चमन रोड, फरीद नगर,<br>सुपेला भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

# नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रितु देवांगन ध. प. श्री जामवन्त देवांगन उम्र 32 वर्ष, निवासी-नयापारा पंचशील नगर, वार्ड नं.-01 दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. मथुरा देवांगन आत्मजा श्री व्यासनारायण देवांगन था यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व विवाह पूर्व के सभी दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी, मेरा विवाह श्री जामवन्त देवांगन के साथ संपन्न हुआ विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रितु देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती रितु देवांगन ध. प. श्री जामवन्त देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कु. मथुरा देवांगन<br>पिता-श्री व्यासनारायण देवांगन<br>निवासी-ग्राम-डोंगरगांव<br>जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) | श्रीमती रितु देवांगन<br>पति-श्री जामवन्त देवांगन<br>निवासी-नयापारा पंचशील नगर,<br>वार्ड नं.-01 दुर्ग,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2213.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/199 दिनांक 20-01-2015 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारीगोढ़ी (बिटकुली) प. क्र. 125 दिनांक 29-01-2002 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2216.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1805 दिनांक 16-12-2018 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को छ. ग. उच्च न्यायालय आवास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर प. क्र. 264 दिनांक 16-12-2008 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2217.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/555 दिनांक 16-02-2015 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को को-आप. इम्पलाईज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर प. क्र. 409 दिनांक 26-03-1963 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2221.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1215 दिनांक 08-04-2016 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को वेकटेंश्वर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मटियारी विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर प. क्र. 341 दिनांक 15-09-2015 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2222.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1201 दिनांक 28-04-2015 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर प. क्र. 112 दिनांक 31-05-2001 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2223.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/146 दिनांक 11-01-2016 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को जय भवानी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरहा देवरी प. क्र. 204 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2017/2224.—वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2432 दिनांक 27-11-2014 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के स्थान पर जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को एस. एस. साख सहकारी समिति मर्या. गोलबाजार बिलासपुर प. क्र. 149 दिनांक 19-09-2003 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

**[ छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./2017/2225.—सरस्वती मछुवा सहकारी समिति मर्या. रॉक पं. क्र. 189 दिनांक 29-01-2005 विकास खण्ड मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1052 दिनांक 12-09-2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत सरस्वती मछुवा सहकारी समिति मर्या. रॉक पं. क्र. 189 दिनांक 29-01-2005 विकास खण्ड मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

**[ छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./2017/2226.—लक्ष्मी उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. खैरखुड़ी पं. क्रमांक 3013 दिनांक 19-04-1973 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750 दिनांक 24-06-1995 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा सह. वि. अधि. बिल्हा, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत लक्ष्मी उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. खैरखुड़ी पं. क्रमांक 3013 दिनांक 19-04-1973 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**दिलीप जायसवाल,**
उप पंजीयक.

---

## कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्रमांक/सी. जी./फार्मा/निर्वा/2017/150.—फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 19 के खण्ड (क) के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के 6 (छ:) सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 20-09-2017 को सम्पन्न होने पर अन्तिम मतगणना के आधार पर मैं डॉ. आर. एस. मण्डावी, निर्वाचन अधिकारी नीचे लिखे गये 6 (छ:) सदस्यों को निर्वाचन में उनको प्राप्त कुल मतों की संख्या के आधार पर निर्वाचित घोषित करता हूँ.

| क्रमांक | निर्वाचित प्रत्याशी | प्राप्त कुल मतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री अजय सिंह राजपूत | 2110 |
| 2. | श्री संदीप बजाज | 1822 |
| 3. | श्री अश्विनी विग | 1747 |
| 4. | श्री अश्विनी गुर्देकरे | 1662 |
| 5. | श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल | 1633 |
| 6. | श्री हीरा शंकर साहू | 1469 |

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्रमांक/सी. जी./फार्मा/निर्वा/2017/151.—फार्मेसी एक्ट 1948 (क्रमॉक-8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन फार्मेसी काउन्सिल के छ: (6) सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया के तहत् छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स भवन के हाल में दिनांक 20-09-2017 को मतगणना पूर्ण होने पर कुल 26 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का विवरण निम्नानुसार है.

| क्रमांक | प्रत्याशियों के नाम | प्राप्त कुल मतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग | 2110 |
| 2. | श्री अमन दास आनन्द, महासमुन्द | 210 |
| 3. | श्री अमर लाल पंजवानी, रायपुर | 1264 |
| 4. | श्री अश्वनी विग, रायपुर | 1747 |
| 5. | श्री अश्विनी कुमार गुर्देकर, रायपुर | 1662 |
| 6. | श्री अविनेश चन्द्राकर, रायपुर | 665 |
| 7. | श्री दशरथ लाल शर्मा, राजनांदगांव | 1062 |
| 8. | श्री दीपेन्द्र सोनी, रायपुर | 81 |
| 9. | श्री देवेन्द्र कुमार ताम्रकर, दुर्ग | 719 |
| 10. | श्री दीपक गिरडकर, रायपुर | 337 |
| 11. | श्री हीरा शंकर साहू, दुर्ग | 1469 |
| 12. | श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़ | 1633 |
| 13. | श्री केशरमल अग्रवाल, दुर्ग | 407 |
| 14. | श्री मनोहर कुमार जेठानी, रायपुर | 1095 |
| 15. | श्री मोहम्मद इरफान शेख, महासमुन्द | 445 |
| 16. | श्री पल्लव श्रीवास्तव, रायपुर | 127 |
| 17. | श्री राधे श्याम सरगुजा | 468 |
| 18. | श्री राहुल वर्मा, रायपुर | 1401 |
| 19. | श्री रविन्द्र कुमार चन्द्राकर, बिलासपुर | 291 |
| 20. | श्री संदीप बजाज, रायपुर | 1822 |
| 21. | श्री शेखर वर्मा, बिलासपुर | 970 |
| 22. | श्री सूरज प्रताप सिंह, बिलासपुर | 1442 |
| 23. | श्री सुरेश कुमार चन्द्राकर, रायपुर | 94 |
| 24. | श्री विजय कुमार पारख, दुर्ग | 1263 |
| 25. | श्री वैभव शास्त्री, बिलासपुर | 1435 |
| 26. | श्री योगेश्वर चन्द्रम, रायपुर | 1333 |

**डॉ. आर. एस. मण्डावी,**
निर्वाचन अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.